# –:प्रेस नोटः–

दिनांक 25.08.2020

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा।

**मण्डल स्तर पर साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस लाइन्स बांदा में प्रारम्भ हुआ साइबर क्राइम थाना चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के0 सत्यनारायण पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा फीता काटकर किया गया शुभारम्भ। साइबर क्राइम थाने पर पंजीकृत हुआ प्रथम अभियोग। प्रकरण का पर्यवेक्षण कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश।**

आज दिनांक 25.08.2020 को पुलिस लाइन्स बांदा में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुसिल महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा मण्डलीय थाना साइबर क्राइम अपराध का फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। ज्ञातव्य हो कि चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर में अबतक साइबर सेल संचालित है जिन में समय–समय पर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए काफी प्रयास किये जाते हैं किन्तु साइबर अपराधों पर अभियोग पंजीकृत करना, विवेचनात्मक कार्यवाही करना तथा साइबर अपराध करने वाले अपराधियों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी आवश्यकता को देखते हुए शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में पुलिस लाइन्स बांदा में मण्डल साइबर क्राइम थाने का शुभारम्भ किया गया है। थाने का नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री आलोक मिश्र, थाना प्रभारी निरीक्षक मो0 फहीम अख्तर, उ0नि0 जितेन्द्र यादव, कम्प्यूटर आपरेटर सहित 02 महिला आरक्षियों तथा 03 पुरूष आरक्षियों को नियुक्त किया गया है। मण्डल के जनपदों में 01 लाख रूपये से ऊपर होने वाली ऑनलाइन ठगी पर पीड़ित की तहरीरानुसार अभियोग पंजीकृत किया जायेगा तथा विवेचनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 01 लाख रूपये से नीचे होने वाले साइबर अपराधों पर जनपद स्तर के साइबर सेल कार्यवाही करते है। अब तक होने वाले अपराधों में जनपद बांदा में संचालित साइबर सेल द्वारा ऐसे 06 प्रकरणों में पीड़ितों को उनका पैसा वापस कराकर सराहनीय कार्य किया गया है। गौरतलब है कि मण्डल के पहले साइबर अपराध थाने पर अभियोग पंजीकृत कराने वाले घनश्याम यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी ग्राम बेन्दा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा द्वारा फेसबुक पर महेन्द्रा का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में अंकित मोबाइल नंबर में संपर्क किया तो बोलेरो कार 02 लाख रूपये में खरीदना तय हुआ। विज्ञापन डालने वाले द्वारा तय होने के अपराधी से टूट गया तथा ठगी का एहसास होते ही तहरीर देकर मुकद्दमा लिखवाया गया।